

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 23928

/सात लाई०-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून: दिनांक: फरवरी, 18, 2026

::विज्ञप्ति::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 व 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 (त्रिवर्षीय) के अन्तर्गत प्रक्रिया गतिमान है। इच्छुक एवं आर्ह आवेदक सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एवं विभागीय वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in पर व्यवस्थापन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित समय-समय पर जारी निर्देश उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

23929-33

संख्या: /सात लाई०-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 19.02.2026 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।